न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 62/2018/प्रार्थना पत्र

मोहन पुत्र स्व. हरसा, जाति गुर्जर, निवासी रघुनाथगढ़, तहसील व जिला सीकर राज.।
प्रार्थी

बनाम

1. झुंथाराम पुत्र मंगला
2. रघुनाथ पुत्र हरसा
3. लाडा बेवा स्व. बालू
4. मंगली बेवा स्व. बालू
5. प्रकाश पुत्र स्व. बालू
6. मनोहरी पुत्री स्व. बालू
7. राजूड़ी पुत्री स्व. बालू

समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर (राज.)

8. तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थितः—
1. श्री सुशीला कुमावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. वास्ते अपील (रिव्यु)

निर्णय

निर्णय दिनांकः21 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें पूर्व पेशी दिनांक 06.08.2018 नियत थी। उक्त अपील में प्रार्थी जो एक अनपढ़ गरीब वृद्व व्यक्ति है तथा हर तारीख पेशी पर न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ होने एवं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी की सूचना देने की हिदायत दी गई थी।

(2) उक्त अपील में प्रार्थी की महिला अधिवक्ता जो माह अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 प्रसव के दौरान छुट्टी पर थी तथा अन्य अधिवक्ता को तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने के कारण दिनांक 06.08.2018 को न्यायालय हाजा के द्वारा उक्त अपील को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई तथा प्रार्थी की अधिवक्ता दिनांक 05.09.2018 को न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

की सुनवाई की तारीख पेशी बाबत जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त अपील दिनांक 06.08.2018 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हो गई। उक्त अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं बल्कि मजबुरी वश हुई है।

(3) प्रस्तुत अपील में प्रार्थी के गंभीर कानूनी एवं सम्पति अधिकार निहित है तथा उक्त अपील को पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया तथा समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तो प्रार्थी के कानूनी एवं साम्पतिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा प्रस्तुत अपील का औचित्य ही विफल हो जायेगा। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उचित एवं आवश्यक है।

(4) न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.09.2018 को होने व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 07.09.2018 को प्राप्त होने पर हुई। इस कारण आवेदन अन्दर मियाद सावधि उचित कोटफीस पर प्रस्तुत है।

अतः उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र पारीक उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी की महिला अधिवक्ता जो माह अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 प्रसव के दौरान छुट्टी पर थी तथा अन्य अधिवक्ता को तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने के कारण दिनांक 06.08.2018 को न्यायालय हाजा के द्वारा उक्त अपील को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई तथा प्रार्थी की अधिवक्ता दिनांक 05.09.2018 को न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील की सुनवाई की तारीख पेशी बाबत जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त अपील दिनांक 06.08.2018 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हो गई। उक्त अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं बल्कि मजबुरी वश हुई है। अतः उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना प्रार्थनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

5. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अभिकथन किया कि वकील अपीलान्ट दिनांक 04.06.2018 से पेशी पर हाजिर नहीं आये। जबकि अपीला 06.08.2018 को खारिज की गई थी। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र रिव्यु 04.10.2018 को पेश किया है। इस प्रकार लगभग 4 माह तक न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः प्रा. पत्र पुनर्वालोकन खारिज फरमाया जावे।

6. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। प्रार्थी की महिला अधिवक्ता जो माह अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 प्रसव के दौरान छुट्टी पर थी तथा अन्य अधिवक्ता को तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने के कारण दिनांक 06.08.2018 को न्यायालय हाजा के द्वारा उक्त अपील को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। अतः वकील प्रार्थी की बहस को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. **500 रूपये लागत (Cost) पर स्वीकार** किया जाता है। न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 41/2015 उनवान मोहन बनाम झुंथा पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर हो।

7. निर्णय आज दिनांक :**21 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner